कार्यालय, जिला परिषद् कैमूर (भभुआ)

जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 से संबंधित

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 के नियोजन से संबंधित सभी विषय यथा (जिला परिषद् माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक/ माध्यमिक संगीत/नृत्य/ललित कला एवं उच्च माध्यमिक संगीत) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रमाण–पत्र जाँच/मिलान के उपरान्त मेधा सूची एन.आई.सी. के बेबसाईट www.kaimur.bih.nic.in एवं नियोजन कोषांग/जिला परिषद् कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना के पत्रांक 817 दिनांक 20.03.2017 के आलोक में प्रकाशित मेधा सूची में सम्मिलित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु प्रशिक्षित अभ्यर्थी एवं माध्यमिक संगीत/नृत्य/ललीत कला तथा उच्च माध्यमिक संगीत के अभ्यर्थी को दिनांक 06.04.2017 के पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 04:00 बजे तक **इण्टरस्तरीय उच्च विद्यालय भभुआ" स्थित जिला परिषद् नियोजन कोषांग"** में सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक प्रमाण पत्रों के साथ काउन्सेलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है।

3. काउन्सेलिंग में आमंत्रित किए गये अभ्यर्थियों के निर्धारित तिथि एवं निर्धारित अवधि में अनुपस्थित रहने पर नियोजन का दावा समाप्त समझा जायेगा।

4. काउन्सेलिंग में बुलाये जाने का तात्पर्य अंतिम नियोजन न समझा जाय। पूर्ण जांचोपरान्त काउन्सेलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण रोस्टर एवं मेधा अंक के अनुसार चयन होने पर नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. काउन्सेलिंग के दौरान वैध अभ्यर्थी की पहचान हेतु आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैनकार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि मूल में साथ लांना सुनिश्चित करेगें।

6. जाँच/मिलान के उपरांत विषयवार प्रकाशित मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ काउन्सेलिंग हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें। काउन्सेलिंग के समय उपस्थापित किए जाने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नवत् है:–

1. मैट्रिक– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
2. इण्टर– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. स्नातक– अंक पत्र सभी खण्ड, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. स्नातकोत्तर– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. बीं0एड0– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र की मूल।
6. शिक्षक पात्रता परीक्षा– मूल प्रति।
7. जाति प्रमाण पत्र– मूल प्रति।
8. निवास प्रमाण पत्र– मूल प्रति।
9. यदि अभ्यर्थी दिव्यांग हैं तो दिव्यागता का प्रमाण पत्र मूल प्रति।
10. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो इससे संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
11. माध्यमिक संगीत/ललीत कला/नृत्य के सभी खण्डों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र।
12. उच्च माध्यमिक संगीत के सभी खण्डों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र का मूल।

30/03/17

उप विकास आयुक्त
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, कैमूर (भभुआ)